

पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY



PCPO's Cir. Sl. No.140/2025

कार्यालय
महाप्रबंधक (का.)
हाजीपुर

Date: As Signed

No.ECR-HQ0PERS (RULE)/0001/2025 (Com.No.309129)

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषय:- Clarification on fixation of pay of Running Staff posted to a Head Office stationary post on tenure basis.

संदर्भ:- Railway Board's letter No.-E(P&A)II/2022/RS-2-Part(1), Dated-21.11.2025.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information and needful onward action please.

DA: As above.

Digitally signed by
PRAKASH KUMAR SINGH
Date: 16-12-2025
17:55:13

सकाधि/ई.एस.एम.
कृते महाप्रबंधक (का.)/पूमरे/हाजीपुर

प्रतिलिपि/— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:—

1. महासचिव/ईसीआरईयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी.एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर—कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।

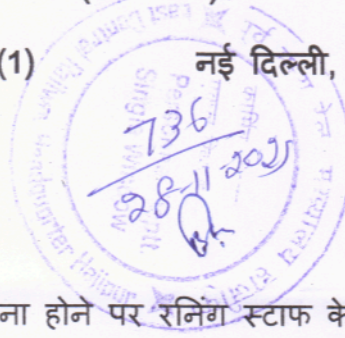
भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

1587
28 NOV 2025

सं.ई(पीएंडए)II/2022/आरएस-2-पार्ट(1)

नई दिल्ली, दिनांक: 21.11.2025

महाप्रबंधक (कार्मिक)
उत्तर पश्चिम रेलवे,
जयपुर



विषय: टैन्थोर आधार पर पदस्थापना होने पर रनिंग स्टाफ के वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ: उत्तर पश्चिम रेलवे का दिनांक 29.07.2025 का पत्र सं. 600ई/यांत्रिक/वेतन निर्धारण/टैक्नी./प्रका/2024-20

उपरोक्त के संदर्भ में, उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या मुख्यालय में टैन्थोर आधार पर पदस्थापना होने पर रनिंग स्टाफ का वेतन निर्धारित करते समय 30% वेतन तत्व को ध्यान में रखा जाना है।

इस मामले की जाँच मौजूदा नीतिगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की गई है। यह देखा गया है कि पैरा 924(i)(घ) में उल्लिखित शब्दों का व्यापक अर्थ है। नीतिगत प्रावधानों या प्रशासनिक अनुदेशों को उनके अनुप्रयोग में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक संभावित तथ्यात्मक स्थिति का पूर्वानुमान लगाने या उसका समाधान करने हेतु तैयार नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्रावधानों की भाषा को नीति के समग्र उद्देश्य और आशय के अनुरूप, उचित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से समझा जाए। तदनुसार, इस व्यापक अर्थ को बोर्ड के दिनांक 15.09.2006 (आरबीई सं.132/2006) और 20.02.2023 (आरबीई सं.34/2023) के पत्रों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इसलिए, ऐसे मामलों में 30% वेतन तत्व की अनुमति न देने का रेलवे का दृष्टिकोण उचित पाया गया है।

प्रमुकाधि
मुकाधि प्रशा
मुकाधि/आईआर
उप मुकाधि/राज
उप मुकाधि/मा
उप मुकाधि/आईआ
वकाधि
सकाधि/आईआ
विधि अधिकारी

मनोज कुमार
(मनोज कुमार)

उपनिदेशक, स्थापना (वेतन एवं भत्ते)II.

रेलवे बोर्ड

टेली. नं.-011-47845113

कमरा नं. 406ए, चतुर्थ तल

ईमेल आईडी: manoj.rb@gov.in

प्रतिलिपि प्रेषित: सभी क्षेत्रीय रेलों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

कॉफमो रेलवे कार्यालय परिसर, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली-110002

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

No.E(P&A)II/2022/RS-2-Part(1)

New Delhi dt. 21.11.2025

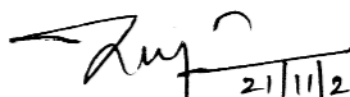
The General Manager (P)
North Western Railway
Jaipur

Sub: Clarification on fixation of pay of Running Staff posted to a Head Office stationary post on tenure basis.

Ref: उत्तर पश्चिम रेलवे का दिनांक 29.07.2025 का पत्र सं. 600ई/यांत्रिक/वेतन निर्धारण/टैक्नी./प्रका/2024-20.

With reference to the above, North Western Railway has sought clarification as to whether 30% pay element is to be taken into account while fixing the pay of a Running Staff member posted to a Head Office stationary post on tenure basis.

2. The matter has been examined in the light of existing policy provisions. It is observed that the wording of para 924(i)(d) has a wide connotation. Policy provisions or administrative instructions cannot be framed to foresee or cater to every possible factual situation that may arise in their application. The language of such provisions has to be understood in a reasonable and purposive manner, consistent with the overall object and intent of the policy. Accordingly, this wide connotation has been specifically restricted vide Board's letters dated 15.09.2006 (RBE No.132/2006) and 20.02.2023 (RBE No.34/2023). Therefore, the view taken by the Railway in not allowing 30% pay element in such cases is found to be in order.


 21/11/2025
(MANOJ KUMAR)
Dy. Director, E(P&A)II
Railway Board
Tele No. - 011-47845113
Room No.406A, 4th Floor
Email ID: manoj.rb@gov.in

Copy to: All Zonal Railways for information and necessary action.

COFMOW Railway Offices Complex, Tilak Bridge, New Delhi - 110002